न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

उत्तम तनय मूलू अहिरवार

निवासी ग्राम गोटेट तह0 लिधौरा जिला टीकमगढ़

... आवेदक

।।विरुद्ध।।

म.प्र. शासन

.. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता 1959

विरुद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क्र0 14/स्व0निग0/13-14

मे पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि,प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदक को ग्राम गोटेट मे स्थित भूमि खसरा नं. 806/5 रकबा 1.000 हेक्ट0 भूमि का पट्टा मगन तनय परमू अहिरवार के नाम से दिये जाने हेतु विधिवत रुप से आवेदन पत्र नायब तहसीलदार लिधौरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार लिधौरा तह0 जताराद्वारा अपने न्यायालय में रा.प्र.क्र. 713/19(ब)वर्ष 2001-02 दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विधिवत रुप से इश्तहार जारी कियागया तथा निर्धारित समयावधि मे कोई भी आपत्ति ना आने पर प्रकरण मे पटवारी रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के संदर्भ में साक्ष्य ली गई एवं पात्रता इत्यादिकी जांच करते हुए उक्त भूमि का पट्टा दिनांक 10.102002 को नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा विधिवत रुप सेस्वीकृत किया गया। उक्त पट्टे के विरुद्ध कोई भी अपील या निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था, परंतु एक शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अपने न्यायालय में प्र रा

कर आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2973-एक/2016 जिला-टीकमगढ़

उत्तम विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

11.01.2019

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.2019
सदस्य